

रीख  
क्रम

हुकम या कार्यवाही नय इतिरायत्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

320

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।  
9.4.20

9/4

उपरोक्त न्यायिक पीठकारी अधिकारी राजकीय  
कार्य में व्यस्त है। अहकाम पर हो / पररिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 7-5-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

752

उपरोक्त न्यायिक पीठकारी अधिकारी राजकीय  
कार्य में व्यस्त है। अहकाम पर हो / पररिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 28-5-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28-5-20

उपरोक्त न्यायिक पीठकारी अधिकारी राजकीय  
कार्य में व्यस्त है। अहकाम पर हो / पररिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 13-8-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13-8-20

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण  
अनुपस्थित, वकील प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार  
किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जानर  
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल  
शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 184/19 प्रा.पत्र

1- श्री प्रवण सिंह स० श्री गुलामशायत निवासी-मैकरगडा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री सवाई सिंह स० श्री हजारी सिंह रावत निवासी-मैकरगडा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)  
(संबंधित प्रा.पत्र संसमर्ह)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~मैकरगडा~~ पटवार हल्का ~~करिया~~ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं.- 263, 274/1 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-10-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~मैकरगडा~~ पटवार हल्का ~~करिया~~ तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 263, 274/1 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगास 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा